

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 17/2014

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी चौकी बोरदा जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री मनोज कुमार जैन अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 17.09.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी चौकी बोरदा जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा, शराब तस्करी एवं आम जनता के साथ मारपीट की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2006 से 2011 तक की अवधि में कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त 5 प्रकरणों में से 341,323,34 IPC (1), अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (1), अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (2) के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है ओर 1 प्रकरण अन्तर्गत 19/54 एक्साइज एक्ट का पेंडिंग कोर्ट है। इस प्रकार गैरसायल को माननीय न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणो मे दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 4 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.04.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ज्य सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना महावीर नगर III कोटा जिला कोटा में उपस्थिति देने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों में वर्ष 2006 से 2011 तक की अवधि में कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त 5 प्रकरणों में से 341,323.34 IPC (1), अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (1), अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (2) के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है और 1 प्रकरण अन्तर्गत 19/54 एक्साइज एक्ट का पेंडिंग कोर्ट है। इस प्रकार गैरसायल को माननीय न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना महावीर नगर III कोटा जिला कोटा में उपस्थिति देने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारों द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना महावीर नगर III जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की उभयपक्ष बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बाराँ में वर्ष 2006 से 2011 तक की अवधि में कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त 5 प्रकरणों में से 341,323,34 IPC (1), अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. (1), अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट (2) के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है ओर 1 प्रकरण अन्तर्गत 19/54 एक्साइज एक्ट का पेंडिंग कोर्ट है। इस प्रकार गैरसायल को माननीय न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणो मे दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी चौकी बोरदा जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 04 प्रकरणों में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी चौकी बोरदा जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बाराँ जिले के पुलिस थाना सदर बाराँ जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल बजरंगलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी चौकी बोरदा जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सदर बाराँ जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना महावीर नगर III कोटा जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 02.10.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बाराँ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना महावीर नगर III कोटा जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाराँ जिला बाराँ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बाराँ जिला बाराँ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना महावीर नगर III कोटा जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बाराँ

